

- (व३) पद्धति जिसके तहत धारा 80 के अधीन प्राप्ति एवं खर्च का लेखा अनुरक्षित किया जा सकता है;
- (व४) समय तथा पद्धति जिसके तहत धारा 81 की उप धारा (1) के अधीन द्वीप परिषद बजट तैयार कर सकता है;
- (व५) धारा 81 की उप धारा (5) के अंतर्गत अनुपूरक, आकलंग की अधिकारी और पद्धति;
- (व६) पद्धति जिसमें धारा 82 की उप धारा (1) के अधीन द्वीप परिषद के लेखा की लेखा परीक्षा की जा सकती है;
- (व७) धारा 82 की उप धारा (3) का खंड (क) और (ख) अधिभारित राशि की वसूली की पद्धति;
- (व८) धारा 91 के तहत जिला योजना समिति का गठन;
- (व९) धारा 93 के अंतर्गत जिला योजना समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (व१०) धारा 96 की उप धारा (1) के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति की वैधता के संबंध में जिला न्यायाधीश को आवेदन करने हेतु फार्म;
- (व११) धारा 97 की उप धारा (2) के अंतर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा भुगतान के संबंध में पारित आदेश की निष्पादन की पद्धति;
- (व१२) पद्धति जिसमें धारा 107 के तहत अभिलेख वर्गीकृत और संरक्षित किए जा सकते हैं;
- (व१३) धारा 108 के तहत अभिलेखों के निरीक्षण और सत्यापित प्रतियाँ प्रदान करने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क;

संसद के समक्ष प्रस्तुत करना।

111. इस विनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम इसे बनाए जाने के तुरन्त बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा जब सदन का सत्र कूल तीस दिनों की समयावधि में हो जो कि एक ही सत्र का अथवा दो अथवा इससे अधिक के लगातर सत्रों में होगा तथा यदि सत्र अथवा लगातर सत्र जारी रहने के तुरन्त बाद ही सत्र की समाप्ति से पहले उपर्युक्त दोनों सदन नियम अथवा उप विधि में कोई परिवर्तन करने पर सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाई जानी चाहिए, तब परिवर्तित रूप में ही यह नियम लागू होगी अथवा लागू नहीं होगी, जैसा भी मामला हो, अतः ऐसे किसी परिवर्तन अथवा बातिलीकरण उस नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्यों की वैधता बिना पूर्वधारणा का होगा।

सदन के समक्ष 112. जहाँ कहीं भी जनजातीय परिषद विनियम के प्रावधान अण्डमान तथा निकोबार नियमों का द्वीपसमूह (आदिम जनजाति संरक्षण) विनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ विरोध प्रस्तुतीकरण होने पर पश्चात् कथित प्रभावी रहेगा।
